राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1630/2010/अलवर

मै0 एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम प्रा. लि.,
प्लॉट नं0 1,2,27 एवं 28, सेक्टर–5–1010ई,
पंत नगर, उतमसिंह नगर (उतरांचल) .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सीमावर्ती उड़नदस्ता, शाहजहांपुर (अलवर) .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.10.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी फर्म द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 226/आरवेट/ए/08–09 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, शाहजहांपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा आरोपित मांग को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 20.12.2008 को ग्रीन कैरियर एण्ड कॉन्ट्रेक्टर्स (दिल्ली प्रा0लि0) के वाहन संख्या आरजे–27–जीए–2876 को दिल्ली से जयपुर परिवहनित करते समय शाहजहांपुर पर चैक किया। जांच पर पाया गया कि ग्रीन एक्सप्रेस की बिल्टी संख्या 108217 दिनांक 8.11.2008 से 80 नग कम्प्यूटर पार्टस रूद्रपुर (उतरांचल) से कोटा परिवहनित किये जा रहे थे। प्रस्तुत बिल्टी के साथ कम्पनी की इनवोईस संख्या 00090031581 दिनांक 18.12.2008 कीमतन रू0 1,81,826/–एवं 0000014494 कीमतन रू0 9,52,346/–पाये गये। उक्त इनवायसों के साथ वेट–47 प्रपत्र संलग्न नहीं था। इस प्रकार संदिग्ध वेट–47 नहीं होने के कारण माल का परिवहन किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया, प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 01.01.2009 द्वारा उक्त माल की कीमत रू0 11,34,132/–पर 4 प्रतिशत से कर रू0 45,365/– व शास्ति रू0 3,40,240/– कुल रू0 3,85,605/– अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित कर दी गई।

लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी फर्म द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03.06.2010 द्वारा अपीलार्थी फर्म की अपील अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी फर्म द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी फर्म की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रेषिति डायरेक्टर सांइस एण्ड टैक्नोलोजी बी.एम.ओपन युनिवर्सिटी कोटा अपंजीकृत है एवं एक उपभोक्ता है जिसने माल स्वयं के उपयोग हेतु मंगवाया है जिसके साथ घोषणा पत्र वेट–47 की आवश्यकता नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने वेट–47 की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए, कर व शास्ति आरोपित की है जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने भी इस पर बिना विचार किये आरोपित मांग को यथावत रखने में विधिक भूल की है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ.12(15)एफ.डी./टैक्स/2008 पार्ट–तृतीय दिनांक 30.8.2008 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त (2013)36 टैक्स अपडेट पेज 37 का हवाला देते हुए, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत अधिसूचना एवं न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी विक्रेता फर्म, उत्तरांचल की है तथा क्रेता राजस्थान स्थित बी.एम.ओपन युनिवर्सिटी, कोटा जो कि अपंजीकृत थी। अतः अपंजीकृत फर्म क्रीत माल के लिए वैट–47 प्रेषित करने में असमर्थ थी। यह कथन कि अपीलार्थी कम्पनी जयपुर, राजस्थान में भी पंजीकृत है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक है, क्योंकि एक ही कम्पनी विभिन्न राज्यों में पंजीकृत हो सकती है तथा स्वतन्त्र व्यापार कर सकती है। अतः इसके स्वतन्त्र संव्यवहारों को अपंजीकृत क्रेता फर्म के राज्य में स्थित पंजीकृत व्यवसाय से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः किसी साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी कम्पनी के आलोच्य संव्यवहार पर वैट–47 का दायित्व नहीं होने के कारण, आरोपित शास्ति अविधिक है।

6. अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय आदेश निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया

(खेमराज)
अध्यक्ष